भारत सरकार
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

राज्य सभा
तारांकित प्रश्न सं0 148
उत्तर देने की तारीख - 23 मार्च, 2012

लंबी दूरी के अंतर्राष्ट्रीय लाइसेंसों (आईएलडी) को जारी किए जाने में अनियमितताएं

***148. श्रीमती कुसुम राय :**

क्या संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या दूरसंचार विभाग द्वारा हांगकांग स्थित एक संस्था द्वारा प्रवर्तित एक कंपनी को अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी (आईएलडी) का लाइसेंस जारी किए जाने में की गई गंभीर अनियमितताओं की सूचना मिली है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या "केन्द्रीय सतर्कता आयोग" ने यह पाया है कि भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा "डब्ल्यू0एल0एल0 सी0डीएम0ए0 इन्टिग्रेटिड फिक्सड वायरलेस टर्मिनल्स" की खरीद में भारत संचार निगम लिमिटेड के देश-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए और अनुचित पक्षपात करके एक कंपनी से 104 करोड़ रु0 की खरीद की गई थी ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या इस संबंध में कोई उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है ;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

मानव संसाधन विकास और संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री कपिल सिब्बल)

(क) से (छ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

जारी...2/-

राज्य सभा में " **लंबी दूरी के अंतर्राष्ट्रीय लाइसेंसों (आईएलडी) को जारी किए जाने में अनियमितताएं**" के बारे में दिनांक 23.03.2012 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं0 148 के भाग (क) से (छ) के संबंध में सभा-पटल पर रखा जाने वाला विवरण।

(क) और (ख) : अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी (आईएलडी) लाइसेंस केवल कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकृत भारतीय कंपनियों को ही जारी किए जाते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने एक आईएलडी लाइसेंसधारक कंपनी मै0 डेटा एक्सेस इंडिया लिमिटेड (डीएआईएल) से संबंधित एक मामला जांच हेतु केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को भेजा है। मै0 डीएआईएल को वर्ष 2002 में जारी किए गए आईएलडी लाइसेंस को लाइसेंस के निबंधन और शर्तों का अनुपालन नहीं करने के कारण वर्ष 2005 में निलंबित कर दिया गया था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो इस मामले की जांच कर रहा है।

(ग) से (छ): केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने बीएसएनएल द्वारा डब्ल्यूएलएल/सीडीएमए एकीकृत स्थिर वायरलेस टर्मिनलों की खरीद के मामले की जांच की है तथा इस मामले को जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को भेजा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) इस मामले की जांच कर रहा है।

****